न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 136/2023 GCMS No.–2016/00272

1. लक्ष्मी देवी पत्नि विजय सिंह मीणा, जाति मीणा, निवासी डी–359, सिद्वार्थ नगर, मालवीय नगर, जयपुर।
2. लाली देवी पत्नि स्व0 रघुनाथ मीणा, निवासी ग्राम लालगढ, ढाणी खोडीका की, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. रामली पत्नी गंगाधर जाति मीणा, निवासी दहलावास, तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. भौरी देवी पत्नि मूलचन्द
4. अनिता देवी पत्नि गोपाल
5. गुलाब देवी पत्नि बिरदीचन्द
6. रामपति पत्नि मीठालाल

.....रेस्पाडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 565 दिनांक 26.12.2008 तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। क

उपस्थितः–

1. श्री रामगोपाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री दिनेश पारी रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 3 लगायत 6 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 11.12.2024

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार बस्सी के निर्णय दिनांक 26.12.2008 जिससे नामान्तरकरण संख्या 565 वाके ग्राम लालगढ तहसील बस्सी रेस्पा0 संख्या 1 के नाम से स्वीकार किया गया जिससे असंतुष्ट होकर अपील दिनांक 17.04.2009 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 3 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पारीक उपस्थित आये। रेस्पा0 संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील उभय पक्ष व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अपीलांट संख्या 2 की खातेदारी एवं कब्जे की अपीलाधीन आराजीयात थी, जिसको अपीलांट संख्या 1 ने रजि. विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर लिया तथा क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार कृषक के नाम अंकित करवा लिया। जिससे रेस्पा0 संख्या 1 का विवादग्रस्त कृषि

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

भूमि का किसी प्रकार कोई संबंध व सरोकार नहीं है, लेकिन उपखण्ड अधिकारी बस्सी के न्यायालय में रामली ने एक मिथ्या वाद रामली बनाम लाली वगैरहा दावा उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया तथा उक्त मुकदमें में एकतरफा डिक्री न्यायालय को गुमराह कर प्राप्त कर ली, उक्त डिक्री की जैसी ही जानकारी अपीलांट को हुयी अपीलांट ने उक्त डिक्री को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व धारा सीपीसी प्रस्तुत किया तथा उसमें स्थगन आदेश का आवेदन दिनांक 08.10.2008 को प्रस्तुत किया। अपीलांट ने इस संबंध में तहसीलदार बस्सी को सूचित कर दिया था इसके बावजूद रेस्पा0 संख्या 1 के नाम से अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये सांठ गांठ कर तथाकथित नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्तनीय है। रामली ने स्वयं न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम संख्या 1 जयपुर के यहां निरस्तनीय पंजीकृत विक्रय पत्र एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है। रेस्पा0 संख्या 1 ने उपखण्ड अधिकारी बस्सी के न्यायालय में कूटरचित दस्तावेज से डिक्री प्राप्त कर विवादित नामान्तकरण अपने नाम से खुलवाया है, जिससे विवादित नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी का आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 565 दिनांक 26.12.2008 वाके ग्राम लालगढ निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा खोला गया है। आदिनांक तक डिक्री आदेश प्रभावी है इसलिए अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार ही तस्दीक किया गया है। अतः अपील प्रारम्भिक स्तर पर ही मेन्टेनेबल नहीं होने से खाजिर किये जाने योग्य है।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के डिक्री आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गयी है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अपीलाधीन नामान्तकरण के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 565 पटवारी हल्का द्वारा मुताबिक डिक्री आदेश के आधार पर दर्ज किया गया। जिसके पश्चात तहसीलदार बस्सी द्वारा दिनांक 26.12.2008 को अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अधिकारी बस्सी में विचाराधीन दावा संख्या 271/2005 बउनवानी रामली बनाम लाली में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2008 की पालना में तस्दीक किया गया है। अपीलांट ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तोवज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जिससे ये जाहिर हो कि अपीलांट द्वारा डिक्री आदेश दिनांक 10.01.2008 को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गयी हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7, आदेश 9 नियम 13 धारा 151, 152 सीपीसी भी आदेश दिनांक 31.12.2015 खारिज किया जा चुका है। यदि अपीलांट डिक्री आदेश दिनांक 10.01.2008 से असंतुष्ट है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतंत्र है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी के हक, हकक अधिकार के बिन्दु को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है और न ही इस बावत क्षेत्राधिकार न्यायालय में निहित है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा पारित डिक्री आदेश के आधार पर तस्दीक किया गया एवं वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी का आदेश प्रभावी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर